चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

प्रवेश नियम सत्र 2019-20

1. विश्वविद्यालय द्वारा नियत निर्देशानुसार महाविद्यालयों/स्ववित्तपोषित संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण कार्य में प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

(क) प्रथमगत: महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuweb.in पर ऑनलाईन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे। महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों के पत्रजात, उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित करायेंगे। सत्यापित प्रवेश ही मान्य होंगे। विद्यार्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

(ख) प्रवेश, अर्हता परक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई ऑनलाईन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर महाविद्यालयों द्वारा किये गये जायेंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों में और इसी प्रकार छात्रावासों में क्रमश: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत या अधिक विकलांग, दृष्टि विहीन/कम दृष्टि (एक प्रतिशत), श्रवण ह्रास/पालन निशक्तता (एक प्रतिशत) अंग-भंग (1 प्रतिशत) हेतु (कुल 3 प्रतिशत), स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को 2 प्रतिशत और पूर्व सेना कर्मियों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में आरक्षण उचित प्रमाण-पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी प्रवेश के लिए उपलब्ध नहीं है तो उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 04.06.2014 के शासनादेश संख्या 3-1/2012NER dated 7th March, 2013 के अनुसार कश्मीरी विद्यार्थियों के लिए सत्र 2016-17 में प्रवेश के समय प्रति पाठ्यक्रम 2 सीट वृद्धि की जा सकती है। व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्यता सूची में कम से कम एक सीट पर आरक्षण मान्य होगा।

(ग) अल्पसंख्यक श्रेणी के महाविद्यालयों द्वारा वर्ग विशेषके अभ्यर्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जिससे अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रदत्त लाभ वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों को मिल सके। 50% तक अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थी ऑनलाइन योग्यताक्रमानुसार चयनित कर प्राथमिकता के आधार पर प्रविष्ट किये जा सकते हैं। किन्तु शेष 50% तक मिश्रित अभ्यर्थियों को योग्यताक्रमानुसार प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूर्ण की जायेगी। यदि चौ० चरणसिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अल्पसंख्यक वर्ग के महाविद्यालय चाहें तो पूर्व सूचना देकर समस्त सम्बद्ध अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के लिए एक पोर्टल पर उक्त प्रवेश कर उसका लिंक (link) प्रवेश पोर्टल www.ccsuweb.in के साथ जोड़ सकते हैं। समस्त प्रवष्टि छात्रों की सम्पुष्टि रिपोर्ट संदर्भ हेतु महाविद्यालयों को संरक्षित करनी होगी।

विषय संयोजन आवंटित करने में महाविद्यालयों को सीट उपलब्धता, सेक्शन की सीमितता, शिक्षकी की उपलब्धता, छात्र की अर्हता का संज्ञान लेकर ही ऑनलाइन सम्पुष्ट करने होंगे। त्रुटियाँ 2 कार्य दिवस के पश्चात् सूचित करने पर संशोधित नहीं की जायेगी। विषय संयोजन में सम्पुष्टि के पश्चात् परिवर्तन भी मान्य नहीं होगा। आरक्षित स्थान हेतु, पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण स्थान रिक्त रह जाने पर, प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थियों से द्वितीय ओपन मैरिट में भरे जा सकते हैं।

अनुसूचित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए छात्रावास में आवास, प्रवेश की अन्तिम तिथि तक आरक्षित रखे जायेंगे।

नोट: यदि प्रमाण-पत्र उचित अधिकारी द्वारा प्रदत्त नहीं होंगे तो उस छात्र का अभ्यर्थन सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की भाँति माना जायेगा। पंजीकरण के समय उचित आरक्षण न मांगने वाले अभ्यर्थी को बाद में वांछित आरक्षण प्रदान नहीं किया जायेगा। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी को, जिसने प्रवेश आवश्यक योग्यता परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की है, किन्तु उत्तर प्रदेश के निवासी के रूप में प्रवेश का इच्छुक है, सक्षम अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण-पत्र एवं आरक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा वह अन्य प्रदेश की श्रेणी में माना जाएगा।

(घ)(i) अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के प्रवेश अधिकतम 10% तक की सीमा तक होंगे, प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्हता परीक्षा में उनकी योग्यता उत्तर प्रदेश के सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से कम न हों। यदि कोई अभ्यर्थी जो कि दूसरे राज्य की निवासी है, उत्तर प्रदेश के किसी महाविद्यालय/संस्थान से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी दूसरे राज्य की श्रेणी में ही रखा जायेगा।

(ii) प्रवेश सत्र 2015-16 से ट्रांसजेन्डर के लिए भी होगा। किन्तु ट्रांसजेन्डर के लिए कोई आरक्षण न होने के कारण पुरुष श्रेणी में ही मेरिट लिस्ट में माना जायेगा।

(ङ)(i) किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं सार्वजनिक सेवा वाले कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री का प्रवेश, उनके माता-पिता के स्थानान्तरण के कारण सम्बन्धित महाविद्यालय में स्थान होने पर कुलपति या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा। ऐसे स्थानान्तरण केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह के अन्तर्गत तक ही स्वीकार्य होंगे। परीक्षा फार्म भरने के बाद स्थानान्तरण स्वीकार नहीं होगा। किसी भी स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में समाप्त करनी होगी।

(ii) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक महाविद्यालय/संस्थान से दूसरे महाविद्यालय/संस्थान में स्थानातरण हेतु पूर्व महाविद्यालयों/ संस्थानों के प्रचार्यों/निदेशकों के अनापत्ति पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वषै में सीट उपलब्ध होने पर दूसरे (जिस महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण चाहता है) महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक के द्वारा विवेकानुसार प्रवेश स्थानान्तरण स्वीकृत किया जा सकेगा। यह सुविधा एक ही शहर के मध्य स्थित महाविद्यालयों/संस्थानों के छात्रों को अनुमन्य नहीं होगी।

(iii) किसी भी दशा में विद्यार्थियों का प्रथम वर्ष में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

(iv) अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण प्रवेश हेतु महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण प्रवेश हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य से अनापत्ति लेकर महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त विषयों की आख्यात सहित विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराकर विश्वविद्यालय से अनुमति प्रापत करना आवश्यक होगा।

(v) स्ववित्तपोषित संस्थानों/पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों का स्थानान्तरण अनुदानित महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों में नहीं किया जायेगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/संस्थानों में स्थानान्तरण विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति पर ही अनुमन्य होगा।

(च) स्नातक कक्षाओं में प्रवेश, बिना प्रवेश परीक्षा की स्थिति में, कुल सीटों की अधिकतम 50% तक सीटें उन विद्यार्थियों के द्वारा भरी जा सकती है, जिन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा यू.पी. बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड का विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। (जैसे: सी०बी०एस०ई०, आई०सी०एस०ई० आदि) किन्तु उनके पाँच विषयों के योग्यता प्राप्तांक चयनित विषयों सहित (जहाँ आवश्यक है) उ०प्र० बोर्ड के सामान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से कम नहीं होने चाहिए। स्ववित्त पोषित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षण माध्यम अंग्रेजी होने के कारण उक्त नियम लागू नहीं हैं।

(छ) वरीयता सूची तैयार करने हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में दो वर्ष के अन्तराल से ज्यादा अन्तराल पर प्रयोगात्मक विषयों की डिग्री को छोड़कर प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। अन्तराल के वर्षों में कुल प्राप्तांकों से 2% प्रतिवर्ष कटौती अधिकतम 8% की जायेगी।

(ज) ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने एम.ए. की उपाधि प्राप्त कर ली है अथवा संस्थागत छात्र के रुप में एम.ए. में दो वर्ष का अध्ययन कर लिया है, उन्हें अन्य विषय में प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर एम.ए. प्रथम में प्रवेश अनुमान्य नहीं होगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी अन्य विषय में एम.ए. करना चाहता है तो वह प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर व्यक्तिगत परीक्षार्थी के साथ परीक्षा दे सकता हैं।

(झ) विद्यार्थी प्रथम वर्ष के उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे जिन्होंने हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा, मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण नहीं की होगी।

(ञ) विद्यार्थी प्रथम वर्ष में उन स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए योग्य/पात्र नहीं होंगे, जिनमें तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि उल्लिखित नहीं हो तथा जिन्होंने 10+2+3 पद्धति (पैटर्न) के अन्तर्गत स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की होगी। योग्य/पात्र अभ्यर्थियों की हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा सम्बन्धित विषय सहित; मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होनी चाहिए।

विशेष नोट : मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय की सूची नियमावली के अन्त में दी गयी है।

1. विद्यार्थी जिन्होंने कोई भी परीक्षा अमान्य बोर्डों/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है, इस विश्वविद्यालय की किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अर्ह नहं है। निम्नलिखित अमान्य बोर्ड एवं विश्वविद्यालय के अतिरिक्त यदि किसी ऐसे ही बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की जानकारी प्राप्त होती है तो उनका कोई भी विद्यार्थी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह नहीं होगा।

2. महाविद्यालय में प्रवेश के समय एक सेक्शन में स्नातक स्तर पर सामान्यत: 60 अभ्यर्थियों के ही प्रवेश किए जायेंगे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में निर्गत शासनादेशों के आलोक में महाविद्यालय के प्राचार्य यदि 1 (शिक्षक) : 60 (विद्यार्थी) अथवा 1 (शिक्षक) : 80 (विद्यार्थी) के अनुपात में शिक्षक उपलब्ध हैं तो प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व मान्य व अतिरिक्त 20 सीटठ ह प्रति सेक्शन सीट संख्या प्रति विषय प्रति उपलब्ध मान्य शिक्षक की सूचना विश्वविद्यालय का देंगे, मान्य कुलपति जी द्वारा पंजीकृत होने पर इन निर्धारित सीटों पर ऑनलाईन सम्पुष्ट किये जा सकते हैं। प्राचार्यों को न तो निर्धारित संख्यासे अधिक और न ही निर्धारित तिथि के उपरान्त प्रवेश करने का अधिकार होगा और यदि ऐसा करते हैं, तब उनके विरूद्ध शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही को जा सकती है। निर्धारित सीमा से अधिक प्रवेश शासनादेशों के अन्तर्गत कार्यवाही से आच्छादित रहेंगे तथा इसके लिए प्राचार्य ही उत्तरदायी होंगे।

3. शासनादेश संख्या -2555/सत्तर-2-2007-2(166)/2003 उच्च शिक्षा अनुभाग-2 दिनांक 25 जून, के अनुसार शैक्षिक सत्र 2007-08 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु शैक्षिक सत्र 2006-07 में निर्गत शासनादेश संख्या-1678/ सत्तर-2-2006-2(166)/2003 दिनांक 23 मई, 2006 शासनादेश संख्या-1870/सत्तर-02-2000-2 (166)/2003 उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 07 जून, 2006 तथा शासनादेश संख्या-3371/सत्तर-2-2006-2(166)/ 2003 दिनांक 21 अगस्त, 2006 तथा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 यथावत लागू माने जायेंगे।

4. किसी भी विद्यार्थी को प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम वाले स्नातक/स्नातकोत्तर विषय में (इन्टीग्रेटिड पाठ्यक्रम के अतिक्ति) प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी यदि उसने वह विषय इण्टरमीडिएट/स्नातक स्तर पर नहीं लिया है।

निम्नलिखित विषय संयोजन स्नातक स्तर पर अनुमन्य नहीं है, किन्तु अन्तिम निर्णय विछ्वत परिषद की बैठक के बाद किया जायेगा—

- ❖ अर्थशास्त्र तथा दर्शनशास्त्र
- ❖ हिन्दी तथा उर्दू
- ❖ गणित तथा संगीत
- ❖ सैन्य अध्ययन तथा गृहविज्ञान
- ❖ राजनीति विज्ञान तथा सांख्यिकी
- ❖ मनोविज्ञान तथा भूगोल
- ❖ समाज शास्त्र तथा चित्रकला
- ❖ शिक्षा तथा मनोविज्ञान/दर्शनशास्त्र

किसी भी अभ्यर्थी को बी०ए० में तीन साहित्यिक अथवा तीन प्रयोगात्मक विषय अनुमन्य नहीं होंगे। किसी भी अभ्यर्थी को गणित के बिना सांख्यिकी में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यदि माध्यमिक शिक्षा में विज्ञान विषय न रहा हो तो स्नातक पर गणित, सांख्यिकी तथा अर्थशास्त्र के संयोजन का चयन करने पर बी०ए० की उपाधि प्रदान की जाएगी।

Note : In case of National Institute of Open Schooling, New Delhi the candidate must have passed Intermediate Examination with five subjects.

5. अभ्यर्थी, जिसकी उपस्थिति शैक्षिक सत्र के प्रत्येक पाठ्यक्रम में पूरी हो किन्तु यदि वह परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है या अनुत्तीर्ण हो जाता है तो विश्वविद्यालय परीक्षा हेतु उसे संस्थागत विद्यार्थी के तौर पर पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उसे वह परीक्षा एक पूर्व-विद्यार्थी (Ex-student) के रूप में ही उत्तीर्ण करनी होगी। विद्यार्थी जिसने विश्वविद्यालय परीक्षा का फार्म नहीं भरा होगा, उसे पूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

6. विद्यार्थी की वरीयता सूची को आंकने के लिए प्रवेश के समय निम्नलिखित भारांक (Weightage) दिए जायेंगे।

(अ) 4% अधिभार ऐसे विद्यार्थियों के लिए, जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ भारतीय विश्वविद्यालय संघ (A.I.U.) अथवा भारतीय ओलम्पिक संघ (I.O.A.) द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/प्रदेशीय/अन्तर्विश्वविद्यालय स्तर पर खेलों में भाग लिया हो अथवा SAI (Sports Authority of India) द्वारा प्रशिक्षण प्राप्ति प्रमाण-पत्र धारक हो।

(ब) 4% अधिभार चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय के (स्नातक/परास्नातमक) छात्रों के लिए।

(स) 4% अधिभार चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय/सम्बद्ध कॉलेजों के शिक्षकों/कर्मचारियों के (पुत्र/पुत्री/पत्नि/पति) के लिए।

(द)(i) 3% अधिभार उन विद्यार्थियों के लिए, जिन्होंने NCC का "C" या "G-II" सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।

अथवा

(ii) 2% अधिभार उन विद्यार्थियों के लिए, जिन्होंने NCC का "B" या "G-I" सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।

अथवा

(iii) 3% अधिभार उन विद्यार्थियों के लिए, जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) के अन्तर्गत 240 घण्टों की सेवा की हो तथा 7/10 दिनों के 2 शिविरों में भाग लिया हो अथवा 2% अधिभार उनके लिए जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के 240 घण्टों की सेवा तथा 7/10 दिनों का एक शिविर किया हो अथवा 1% अधिभार उनके लिए जिन्होंने 240 घण्टों की सेवा की हो या 120 घण्टों की सेवा तथा ऐसा एक शिविर किया हो।

अथवा

स्काउटिंग में तथा रेंजर/रोवर गतिविधि में अर्हता कक्षा के दौरान भाग लेने वाले अभ्यार्थियों हेतु अधिभार निम्न प्रकार होगा—

(i) 4% अधिभार भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होने पर।

अथवा

(ii) 3% अधिभार-राज्यपाल द्वारा सम्मानित होने/निपुण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

(iii) 2% अधिभार-तृतीय सोपान/गुरूपद/प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

(iv) 1% अधिभार–द्वितीय सोपान/ध्रुवपद परीक्षा उत्तीर्ण करने पर

2% स्पोर्ट्स कोटा ऑनलाइन पंजीकृत छात्रों के उचित परीक्षण के पश्चात् आवश्यकता अनुसार कुलपति जी के आदेश से Supernumerary किया जा सकता है।

नोट:(i) किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को 8% तक का अधिभार ही देय होगा। (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मचारी के पुत्र/पुत्री/पत्नी/ पति को अधिकतम 12% तक अधिभार दिया जा सकता है।)

(ii) किसी अधिभार के आधार पर द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र, प्रथम श्रेणी प्राप्त छात्र से और तृतीय श्रेणी प्राप्त छात्र, द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र उच्चतर प्राथमिकता प्राप्त नहीं कर सकेगा अर्थात् प्राथमिकता पर अधिभार अंकों को कोई प्रभाव नहीं होगा।

(iii) नियम 6(अ) के अन्तर्गत अधिभार स्नातकोत्तर और एल–एल.बी. कक्षाओं में प्रवेश हेतु तभी देय होगा जबकि अभ्यर्थी ने राष्ट्रीय/प्रदेशीय/अन्तर्विश्वविद्यालय खेलों में महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन करते हुए भाग लिया हो। इण्टर कॉलिज के स्तर पर भाग लने वालों को यह अधिभार केवल स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु ही मान्य होगा। ऐसे प्रमाण–पत्रों की जाँचोपरान्त प्रवेश अधिकारी की संस्तुति आवश्यक होगी।

7. कोई भी विदेशी विद्यार्थी किसी भी महाविद्यालय द्वारा किसी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश का पात्र नहीं होगा, जब तक की उसे जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा अनापत्ति–पत्र प्रदान न कर दिया जाये। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय में विदेशी विद्यार्थी व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं माने जायेंगे।

8. इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रापत किसी अन्य विश्वविद्यालय से 10 + 2 + 3 या 11 + 1 + 3 पैटर्न की परीक्षा पूर्ण करने के बाद दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर चुका या 10 + 2 या 11 + 1 पैटर्न की परीक्षा पूर्ण करने के उपरान्त तीन वर्षीय/चार वर्षीय स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष उत्तीर्ण कर चुका अभ्यर्थी क्रमशः द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष/चतुर्थ वर्ष में प्रवेश ले सकता है, प्रतिबन्ध यह होगा कि वह इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के समान दो वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष और तीन वर्षीय/चार वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष के लगभग समान पाठ्यक्रम पढ़ चुका हो, पाठ्यक्रम का सामंजस्य एल.एल.बी. के प्रकरण में स्वीकार्य नहीं होगा। यह प्रवेश नियम 10 के मान्य होने की स्थिति के अधीन होगा।

9. एक अभ्यर्थी को संस्थागत रूप में बी.ए./बी.एस.सी/बी.कॉम./एल.एल.बी. 6 वर्ष की अधिकतम अवधि में एम.ए./एम.एस.सी/ एम.एस.सी (कृषि)/एम.कॉम./एल.एल.एम./एम.पी.एड. चार वर्ष में, बी.ए., एल–एल.बी. (इन्टरग्रेटेड) 8 वर्ष में बी.ए., बी.एड. (इन्टीग्रेड) 7 वर्ष में, किन्तु स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षा अधिकतम सात वर्षों में पूर्ण करनी होगी तथा बी.एड./बी.पी.एड. और एम.एड. तीन वर्ष में, बी.एस.सी (कृषि) 8 वर्ष में पूर्ण करनी होगी। तीन/चार/छः/सात/आठ वर्ष की अवधि उस शैक्षिक सत्र में मानी जायेगी जिसमें उसने प्रथम बार प्रवेश लिया हो। उक्त अवधि के समाप्त होने के बाद अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा।

10. एम.एस.सी., एम.ए. भूगोल, मनोविज्ञान, संगीत और चित्रकला में योग्यताक्रम के आधार पर प्रवेश हेतु निर्धारीत विषयों में प्रवेश के लिए निम्नलिखित नियम अतिरिक्त होंगे–

(i) महाविद्यालय, विषय के लिए निर्धारित सीटों से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं देंगे।

(ii) एम.एस.सी और एम.ए. में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता यथास्थिति बी.एस.सी./बी.ए. में ऊपर बताये नियमों के अनुसार द्वितीय श्रेणी के साथ सम्बन्धित विषय में कम से 50% अंक होने अपेक्षित हैं। उपुर्यक्त वर्णित न्यूनतम योग्यता सीमाएं एस.सी./एस.टी. के अभ्यर्थियों के लिए मान्य नहीं होगी, उनके लिए उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त होगा किन्तु प्रवेश योग्यता क्रमानुसार ही होंगे। विद्यार्थी की योग्यता क्रम (मैरिट इन्डैक्स) का निर्णय तीन वर्षीय उपाधि की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के साथ विषय में प्राप्त अंकों, जिसमें उसे प्रवेश लेना है, को जोड़कर किया जायेगा। विषय में प्राप्त अंकों की गणना स्नातक के तीनों वर्षों की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा प्रयोगात्मक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधे अंकों को जोड़कर की जाएगी। इसी प्रतिशत में नियमानुसार देय अधिभार अंक भी जोड़े जायेंगे।

(iii) प्रस्तर (ii) पर दिये गये विषयों से अलग एम.ए. के ऐसे विषय जिनमें प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम नहीं हैं एवं एम.एस.सी. (गणित) में प्रवेश हेतु द्वितीय श्रेणी या न्यूनतम 50% अंक का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(iv) एम.एस.सी और एम.ए. (प्रयोगात्मक विषय) में प्रवेश के लिए चुने गये विषय का स्नातक स्तर पर मुख्य विषय के रूप में होना आवश्यक है। सहायक (Subsidiary) विषय मान्य नहीं होगा। एम.एस.सी. सांख्यिकी हेतु प्रवेश के लिए स्नातक स्तर पर गणित/सांख्यिकी विषय होना अनिवार्य है परन्तु एम.एम. प्रयोगात्मक विषयों में उपर्युक्तानुसार अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या स्वीकृत सीटों से कम होने की स्थिति में सहायक (Subsidiary) विषय मान्य होंगे। एम.एस.सी. बायोइन्फोरमेटिक्स (Bioinformatics) में प्रवेश हेतु स्नातक बॉयोलॉजी

ग्रुप/बायोटैक्नोलोजी/कम्प्यूटर साइंस/गणित/सांख्यिकी/माइक्रोबॉइलोजी/बी.एम.एल.टी./ बी.एस-सी. (कृषि) में 50% अंक आवश्यक होंगे।

(v) एम.एस-सी (गणित) में प्रवेश हेतु बी.सी.ए., बी.टैक. (मैकेनिकल, कम्प्यूटर साइंस, इंफोरमेशन टैक्नोलोजी, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स) उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होंगे किन्तु उनकी योग्यता सूची 5% अंकों की कटौती करके बनायी जायेगी। बी.एस-सी. (गणित) के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(vi) एम.ए. के भाषा सम्बन्धी विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत) में प्रवेश के लिये स्नातक स्तर पर वहीं विषय मुख्य विषय के रूप में होना आवश्यक है।

(vii) एम.ए. (अर्थशास्त्र) में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर बी.बी.ए./बी.सी.ए./बी.ए. (गणित)/बी.एस-सी. (गणित)/बी.कॉम. अथवा 10 + 2 में गणित उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होगा। किन्तु इन अभ्यर्थियों की योग्यता सूची 5% अंक की कटौती के पश्चात् जारी की जायेगी। बी.ए. (अर्थशास्त्र) के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(viii) एम.ए. (अर्थशास्त्र) में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर बी.बी.ए./बी.एस-सी, उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होगा। किन्तु इन अभ्यर्थियों की योग्यता सूची 5% अंक की कटौती के पश्चात् जारी की जायेगी। बी.ए. (समाजशास्त्र) के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ix) एम.ए. गैर प्रायोगिक विषय (इतिहास, राजनीति विज्ञान, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य अध्ययन एवं शिक्षाशास्त्र) के प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक स्तर पर सम्बन्धित विषय में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, किन्तु अर्हता सूची के अनुसार अर्ह है, यदि प्रवेश हेतु आवेदन करता है तो योग्यता सूची तैयार करते समय अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से 5% की कटौती की जायेगी।

11. (i) एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश महाविद्यालय स्तर पर तैयार योग्यता सूची के आधार पर विहित नियमावली के अनुसार किये जायेंगे। एल.एल.बी. (3 वर्षीय एवं 5 वर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवेश हेतु 44.5 प्रतिशत से अधिक/पिछड़ा वर्ग हेतु 42% एवं अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 39.5% से अधिक अंकों के साथ स्नातक/परास्नातक उत्तीर्ण छात्र पात्र होगा। योग्यता क्रम की गणना हेतु स्नातक (3 अथवा अधिक वर्षीय) अथवा स्नातकोत्तर स्तर (2 वर्षीय) पर जिसमें अधिक प्रतिशत अंक हो, वही आधार बनेगा यद्यपि गैप वर्ष की गणना पात्रता कक्षा अर्थात स्नातक से की जायेगी।

(ii) जिन अभ्यार्थियों ने इस विश्वविद्यालय से याइस विश्वविद्यालय से मान्य किसी विश्वविद्यालय से एल-एल.बी. उपाधि (3 वर्षीय पाठ्यक्रम /5 वर्षीय पाठ्क्रम) न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण की है, मास्टर ऑफ ला (एल-एल.एम.) प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के उपरान्त, विश्वविद्यालय द्वारा तैयार योग्यता सूची के आधार पर ही अर्ह होंगे।

(iii) एक अभ्यार्थी, जिसने एल.एल.बी का प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष किसी अन्य विश्वविद्यालय से जो कि इस विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है, उत्तीर्ण किया है, एल.एल.बी. के द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में प्रवेश ले सकता है। किन्तु उसे इस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के सभी प्रश्न-पत्र करने होंगे।

(iv) कोई भी महाविद्यालय एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में B.C.I. द्वारा निर्धारित सीटों के अतिरिक्त प्रवेश नहीं करेंगे।

12. (i) बी.कॉम. प्रथम वर्ष के प्रवेश प्रकरण में योग्यता सूची तैयार करते समय उन विद्यार्थियों को 5% अधिभार दिया जाएगा। जिन्होंने 10 + 2 कॉमर्स से उत्तीर्ण किया हो। बी.कॉम. में प्रवेश के लिए मैरिट लिस्ट तैयार करते समय प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट की परीक्षा में प्राप्तांक को आधार माना जाएगा।

(ii) बी.ए. में प्रवेश लेने वाले ऐसे अभ्यार्थी के, जिसने इण्टरमीडिएट विज्ञान, वाणिज्य और कृषि पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण किया है, अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत में से (योग्यता की गणना के लिए) 5% अंक घटा दिये जायेंगे।

(iii) इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यवसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में बी.कॉम., बी.ए. अथवा बी.एस.सी. में प्रवेश के लिए केवल लिखित परीक्षा के प्राप्तांक जोड़े जायेंगे, प्रयोगात्मक विषयों के नहीं।

13. (i) विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग तथा गलत आचरण करने वाले किसी दोषी घोषित अभ्यर्थी को उस जनपद के किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ii) ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हिस्ट्रीशीटर हो या नैतिक पतन के किसी अपराध के अथवा अपराधिक मामले में सम्मिलित हो, विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि प्रवेश दे दिया गया है तो बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।

(iii) किसी भी महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक को किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश पुनः प्रवेश महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के हित में बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

(iv) किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश नियमों के विरुद्ध होने पर अथवा गलत तथ्यों के आधार पर होने की स्थिति में कुलपति/प्राचार्य द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

(v) अनुशासन मण्डल के अनुसार रैगिंग करने या वातावरण को दूषित करने अथवा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दुर्व्यवहार या दूषित वातावरण उत्पन्न करने का दोषी पाये गये किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा उसका प्रवेश हो जाने पर भी बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।

(vi) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी:

"If any incident of ragging comes to the notice of the authority, the concerned student shall be given liberty to explain and if his explanation is not found satisfactory, the authority would expel him form the institution."

(vii) कोई भी विद्यार्थी जिसे एक संस्थागत विद्यार्थी के रूप में सात साल हो चुके हैं, बी.एड., बी.पी.एड., एम.एड., एम.पी.एड., एल.एल.एम. व्यावसायिक स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य कक्षा/पाठ्यक्रम में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।

14. (i) बी.एड./बी.पी.एड. और एम.एड./एम.पी.एड. की कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर किया जायेगा। प्रवेश के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के नियम बी.एड., एम.एड. के विद्यार्थियों पर भी लागू होंगे।

(ii) बी.एस.सी. (कृषि) प्रथम वर्ष में प्रवेश योग्यता के आधार पर होगा। अभ्यर्थी को बी.एस.सी. (कृषि) प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए कृषि से या विज्ञान में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। इन परीक्षाओं में प्राप्तांकों के आधार पर योग्यता सूची बनायी जायेगी। इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यवसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में बी.ए. (गृहविज्ञान)/बी.एस-सी. (गृहविज्ञान) तथा बी.एस-सी. (कृषि) में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे।

(iii) केवल वे अभ्यार्थी एम.एस.सी. (कृषि) के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए योग्य होंगे जिन्होंने बी.एस.सी (कृषि) से चार वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है। एम.एस.सी. (कृषि) में प्रवेश, योग्यताक्रम के आधार पर होगा।

15. ऐसा अभ्यर्थी, जो किसी अन्य महाविद्यालय से सम्बन्धित द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष/चतुर्थ वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है, इस विश्वविद्यालय में द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में प्रवेश के लिए स्वीकार्य नहीं होगा।

16. ऐसा अभ्यर्थी जो कोई ओरियन्टल परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, वह किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्वीकार्य नहीं होगा, जब तक वह इस विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये अर्हता सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है।

17.(i) एम.कॉम. के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी.कॉम. परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बी.ए. उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी अर्ह होंगे किन्तु प्राथमिकता बी.कॉम. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दी जायेगी।

(ii) बी.सी.ए./बी.टैक (Mech./CS/IT/EC/Electrical) की परक्षा बी.एस.सी. (गणित) की स्नातक उपाधि के समतुल्य मानी जायेगी। यद्यपि एम.एस-सी. (गणित) में प्रवेश की प्राथमिकता बी.एस.सी (गणित) को दी जायेगी।

(iii) बी.पी.ई.एस. (सेमेस्टर प्रणाली 3 वर्षीय पाठ्यक्रम)/बी.एस-सी. (शारीरिक शिक्षा) (वार्षिक 3 वर्षीय पाठ्यक्रम) यूजी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कीअन्य स्नातक उपाधि के समतुल्य मानी जायेगी।

(iv) एम.पी.ई.एस. (सेमेस्टर प्रणाली 2 वर्षीय) पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के अन्य स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य मानी जायेगी।

(v) एल.एल.बी. (3 वर्षीय) एवं एल.एल.बी. (5 वर्षीय) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु बार कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित अर्हता ही मान्य होगी।

(vi) व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार महाविद्यालयों द्वारा किये जायेंगे। स्नातकोत्तर स्तरीय तथा स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में क्रमशः 50 तथा 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य होगा। परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के सम्बन्ध में उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण (5 प्रतिशत छूट के साथ) छात्र प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

18. ऐसा अभ्यर्थी, जिसने स्नातक परीक्षा एकल वर्ष में 1998 के बाद उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।

19. यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी अन्य महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसे स्नातक स्तर पर एकल विषय में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।

20. (i) अभ्यर्थी, जिसने उत्तर माध्यमा/शास्त्री परीक्षा, सम्पूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी से उत्तीर्ण की है, इस विश्वविद्यालय में बी.ए. प्रथम/एम.ए. प्रथम (संस्कृत) में प्रवेश लेने योग्य माना जायेगा।

(ii) अभ्यर्थी, जिसने शास्त्री परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य विश्वविद्यालय से 10+2+3 शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत उत्तीर्ण की है वह बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होगा। (समकक्षता समिति की बैठक दिनांक 05.06.2004 में लिए गये निर्णयानुसार) बी.एड./ बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होगा। (प्रवेश समिति की दिनांक 28.2.2009 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार।

21. अभ्यर्थी, जिसने कोई भी परीक्षा साहित्य सम्मेलन प्रयाग इलाहाबाद से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए प्रवेश लेने के योग्य नहीं माना जाएगा।

22. कोई भी अभ्यर्थी, जिसने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष व्यक्तिगत अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण किया है, संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होगा।

23. कोई भी अभ्यर्थी स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड, यू.पी. या अन्य किसी दूसरे बोर्ड से प्राप्त किसी डिप्लोमा के आधार पर योग्य नहीं समझा जायेगा। विश्वविद्यालय का कोई भी पूर्ववती निर्णय ऐसे डिप्लोमा के बारे में निरस्त माना जायेगा।

24. कोई भी अभ्यर्थी किसी भी महाविद्यालय परीक्षा में बैठने के लिए अनुमत नहीं होगा, जब तक वह अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर उस परीक्षा में बैठने योग्य न हो। महाविद्यालय अस्थायी प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का परीक्षा फार्म बिना योग्यता परीक्षा का परिणाम जाने विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं करेगा।

25. कोई भी विद्यार्थी परीक्षा में तब तक नहीं बैठ पायेगा, जब तक वह परिनियमों में वर्णित न्यूनतम निर्धारित उपस्थिति पूरी न करता हो।

26. परीक्षा सुधार (पुनः परीक्षा) में बैठने योग्य अभ्यर्थी का उसी उपाधि की अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश स्वीकार्य होगा और वह परीक्षा सुधार परीक्षा के साथ अगले साल की परीक्षा देगा। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी पुनः परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उस अस्थायी प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और उसे सभी विषयों में पूर्व विद्यार्थी के रूप में पूर्ण परीक्षा पुनः देनी होगी। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के समय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

27. यदि कोई अभ्यर्थी कृपांक की सहायता से परीक्षा उत्तीर्ण करता है या उसकी श्रेणी सुधरती है तो वह नियमानुसार देय लाभ का अधिकारी होगा। (किन्तु मेरिट सूची में इसका प्रभाव मान्य नहीं होगा)

28. आरक्षित श्रेणी को कोई अभ्यर्थी यदि उच्चतर योग्यता के कारण सामान्य श्रेणी में प्रवेश के लिए चुन लिया जाता है तो उस श्रेणी के लिए आरक्षित स्थानों को संख्या कम नहीं होगी और नियमों की अज्ञानता उसके उल्लंघन का बहाना नहीं मानी जायेगी।

29. बी.एस.सी (फिजीकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स विषय) विज्ञान संकाय के अन्तर्गत जीव विज्ञान विषय में 10 + 2 उत्तीर्ण छात्रों को क्रीड़ा सम्बन्धी अभिलेखों के साथ 45% अंक (अनुसूचित जाति/जनजाति) होने पर ही दिया जायेगा।

30. स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों यथा बी.लिब आदि में प्रवेश 10 + 2 + 3 पैटर्न के अन्तर्गत ही किये जायेंगे। अतः 10 + 2 + 3 उत्तीर्ण छात्रों को ही उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जायें। जिस पाठ्यक्रम विशेष के लिए अर्हता सूची में उल्लिखित है मात्र उसमें तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी अर्ह होंगे।

31. विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों के प्रवेश में छात्राओं को क्षैतिज (Horizontal) आधार पर 20% का आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

32. विश्वविद्यालय के परिनियम के अध्याय IV के प्रस्तर-4 के अनुसार किसी भी विद्यार्थी को एक साथ दो पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी जब तक कि परिनियमों एवं अधिनियमों में ऐसा प्रावधान न हो।

33. BJMC, BBA, BFA, B.EL.Ed., में प्रवेश हेतु 10 + 2 में न्यूनतम 45% अंक आवश्यक है। एस.सी./एस.टी. अभ्यर्थियों का प्रवेश 40% तक अनुमन्य होगा।

34. BMLT तथा BMM के लिए 10 + 2 पी.सी.बी./पी.सी.एम. के साथ न्यूनतम 45% अंक आवश्यक हैं। एस.सी./एस.टी. अभ्यर्थियों का प्रवेश 40% तक अनुमन्य होगा। BOT, BRDIT तथा BPT के लिए मात्र पी.सी.बी. अनुमन्य है। Post Basic Nursing के लिए 10 + 2 के साथ General Nursing and Midwifry में डिप्लोमा आवश्यक हैं। B.Sc. Nursing के लिए 10 + 2 मात्र पी.सी.बी./पी.सी.बी.ई. के साथ न्यूनतम 45% अंक आवश्यक है।

35. B.Sc. Home Science (Clinical Nutrition & Dietetics) के 10 + 2 में गृह विज्ञान आवश्यक है।

36. प्रवेश के सम्बन्ध में शासन से प्राप्त आदेशों का पालन किया जायेगा।

37. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नियम विश्वविद्यालय परिसर तथा महाविद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रमों के लिए समान होंगे।

38. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रवेश समिति का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

39. किसी भी गैर प्रायोगिक विषय में स्नातक अथवा परास्नातक स्तर पर प्रवेश के लिये अर्हता उपाधि से दो वर्ष से अधिक का अन्तराल अनुमत नहीं होगा।

40. M.Sc. (Home Science) की विभिन्न शाखाओं के लिये अर्हता B.Sc. (Home Science) 50% अंकों के साथ रहेगी। Food & Nutrition पाठ्यक्रम के लिये B.Sc. Home Science (Clinical Nutrition & Dietetics) उत्तीर्ण छात्र उक्त प्रतिशत के साथ ही पात्र होंगे।

41. यदि छात्र उनके द्वारा चयनित महाविद्यालय की योग्यता सूची में नाम आने पर प्रवेश हेतु दिये गये समय के भीतर पत्रजातों सहित प्रस्तुत होकर प्रवेश सम्पुष्ट कराने में असमर्थ रहते हैं तो उन्हें रिक्त सीट शेष रहने की स्थिति में उस महाविद्यालय अथवा अन्य (जिसका चयन उन्होंने प्रवेश आवेदन भरते समय नहीं किया हो) महाविद्यालय में प्रवेश अन्तिम चरण में दिया जा सकता है। यदि प्रवेश सम्पुष्ट न होने कसा आधार उनके पत्रजातों का सत्यापित न हो पाना है तो उनमें त्रुटि संशोधन के पश्चात उनका नाम पुन: योग्यता सूची में आ सकता है। त्रुटि संशोधन के लिए एक से अधिक बार आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

42. समय-समय पर विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा लिये गये निर्णय प्रवेश की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जायेंगे जो मान्य होंगे। शुल्क क्षतिपूर्ति के सभी नियम शासनादेशों से ही आच्छादित रहेंगे व समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित नहीं होंगे।

43. छात्रों का प्रवेश वरीयता क्रम में आरक्षण नियम आदि के अनुसार सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदर्शित व महाविद्यालयों द्वारा प्रवेशित होगा। यदि दो अभ्यर्थियों का मेरिट इन्डेक्स समान होगा, तो इनके अर्हत कक्षा के अंक (अधिक) के आधार पर वह समान हो तो, अर्हता कक्षा से पूर्व (यथा स्नातक प्रवेश हेतु 10वीं बोर्ड) के अंक देखे जायेंगे। वह भी समान हों तो जन्मतिथि (अधिक आयु) के आधार पर व अन्तत: A,B,C,D प्रारम्भिक नामक्षर के आधार पर वरीयता क्रम निर्धारित किया जायेगा।

44. अमान्य बोर्ड व विश्वविद्यालय की जानकारी यू.जी.सी./आई.जी.एन.ओ.यू. तथा एन.आई.ओ.एस. की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अमान्य बोर्ड के नाम (List of Fake Boards)

1. अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् दिल्ली
   All India Board of Secondary Education, Azadpuri, Delhi
2. केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद् उत्तम नगर, नई दिल्ली
   Central Board Higher Education, Uttam Nagar, New Delhi
3. केन्द्रीय उच्च शिक्षा परिषद् पूर्व पटेल नगर, नई दिल्ली
   Central Board Higher Education, East Patel Nagar, New Delhi
4. वयस्क एवं तकनीकी शिक्षा परिषद्, अलीगढ़, मुबारकपुर, नई दिल्ली
   Board of Adult Education & Training, Aliganj, Mubarakpur, New Delhi
5. गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन (Gurukul Vishavidyalaya, Vrindavan)
6. माध्यमिक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली/इलाहाबाद
7. एम.एच. एजुकेशन विद्यापीठ, जौनपुर

अमान्य विश्वविद्यालयों के नाम (List of Fake Universities)

Bihar

1. Maithili University/Vishwavidyalaya, Darbhanga, Bihar
2. Madarsa Education Board, Patna, Bihar

Delhi

3. Varanseya Sanskrit Vishwavidyalaya Varanasi (UP) Jagatpuri, Delhi
4. Commercial University Ltd., Dartaganj, Delhi
5. United Nations University, Delhi
6. Vocational University, Delhi
7. ADR-Centric, Juridical University, ADR House, 8J Gopala Tower, 25, Rajendra Palace, New Delhi-110008
8. Indian Instiute of Science and Engineering, New Delhi
9. Akhil Bhartiya Shiksha Sansthan, New Delhi

Karnattaka

10. Badaganvi Sarkar World open University Education Society, Gokak, Belguam, Karnataka.

Kerala

11. St. Johnyys University, Kishanattam, Kerala

Madhya Pardesh

12. Kesarwani Vidyapith, Jabalpur, Madhya Pardesh.

Maharashtra

13. Raja Arbic University, Nagpur, Maharashtra.

Tamil Nadu

14. D.D.B. Sanskrit University, Putur, Trichi, Tamil Nadu

West Bengal

15. Indian Institute of Altermative, Medicine, Kolkatta, West Bengal

Uttar Pradesh

16. Mahila Gram Vidyapith/Vishwaidyalaya, (Womens University) Prayag, Allahabad, Uttar Pradesh.
17. Gandhi Hindi Vidyapith, Prayag, Allahabad, Uttar Pradesh.
18. National University of Electro Complex Homeopathy, Kanpur, Uttar Pradesh.
19. Netaji Subhash Chand Bose University (Open University), Achaltal, Aligarh, Uttar Pradesh.
20. Uttar Pradesh Vishwavidyalaya, Kosi Kalan, Mathura, Uttar Pradesh.
21. Maharana Pratap Shiksha Niketan, Vishwavidyalaya, Pratapgarh, Uttar Pradesh.
22. Indraprastha Shiksha Parished, Institutional Area, Khoda, Makanpur, Nodia Phage-II, Uttar Pradesh.
23. Hindi Sahitya Samnelan, Allahabad, Uttar Pradesh.

Chhattisgarh

24. Doon International University, Raipur, Chhattisgarh
25. A.C.N. International University, Raipur, Chhattisgarh

Note : The Matter of recognition of degree like B.Ed./M.Ed. etc. awarded by the Bhartia Shiksha Parishad, Lucknow and also its recognition is still subjudice.

नोट:

1. प्रवेश नियमावली में उद्घत नियमों का पालन पूर्व की भांति ही लागू किया जाये। प्रवेश प्रक्रिया में यदि अधिक दिन लगते हैं अथवा किसी अन्य कारणवश 180 दिन में से कुछ शिक्षण दिवस कम होते हैं तो उतने शिक्षण दिवसों की पूर्ण अतिरिक्त कक्षायें लगाकर की जायेगी।
2. शोक सभायें विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में केवल कार्यरत शिक्षक/कर्मचारी के निधन पर अपरान्हन 3.30 बजे तक होगी। अपरान्हन 3.30 बजे तक कक्षायें यथावत चलेंगी।
3. विश्वविद्यालय की परीक्षाफल तथा अन्य कार्यक्रम विश्वविद्यालय वेबसाईट www.ccsuniversity.ac.in पर उपलब्ध कराया जायेगा।
4. बैक पेपर में अर्ह विद्यार्थियों को अगली कक्षा में औपबन्धिक रूप से प्रवेश दिया जायेगा।
5. स्नातकोत्तर कक्षाओं में आन्तरिक मूल्यांकन एवं परीक्षा सम्बन्धी व समस्त नियम-परिनियम लागू होंगे जो विश्वविद्यालयों द्वारा सेमेस्टर प्रणाली के लिए स्वीकृत किये गये हैं।

छात्र-वृत्तियाँ, शुल्क-मुक्ति एवं छात्र सहायता कोष

1. उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार 17.5% योग्य एवं निर्धन छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क मुक्ति प्रदान की जाती है।
2. प्रदेश/केन्द्र शासन द्वारा उन छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ एवं पुस्तक सहायता देय है जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 100000/- रुपये से अधिक न हो।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को उ०प्र० शासन द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्तियाँ दी जाती है।
4. विश्वविद्यालय द्वारा वरसरी छात्रवृत्ति।
5. विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तक क्रय हेतु अनुदार।
6. भारत सरकार के द्वारा मेधावी छात्रों की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति।
7. उ०प्र० शासन द्वारा छात्र कल्याण निधिसे प्रदत्त सहायता।
8. छात्र सहायता कोष से निर्धन छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा आर्थिक सहायता।
9. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित छात्रवृत्ति (Stipend)

नोट: उक्त छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन सूचना प्रसारित होने/प्रवेश लेने के 15 दिन के अन्दर अधिष्ठाता (Dean) छात्र कल्याण/कार्यालय के पास आ जाने चाहिए। निर्धारित अवधि में आवेदन जमा न होने पर छात्रवृत्ति नहीं मिल पायेगी।

उपस्थिति

सभी छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे। विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए व्याख्यान एवं प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम में अलग-अलग 75% उपस्थिति अनिवार्य है। इससे कम उपस्थिति होने पर विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोका जा सकता है। यह विद्यार्थी की अपनी जिम्मेदारी होगी।

परिचय पत्र

प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय का छात्र प्रमाणित करने वाला-मुख्य अनुशासक द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित परिचय-पत्र प्रदान किया जाता है। विद्यार्थी को परिचय-पत्र सदैव अपने पास रखना चाहिए। महाविद्यालय में अधिकारियों द्वारा मांग करने पर परिचय-पत्र दिखाना अनिवार्य है।

चरिण प्रमाण-पत्र

1. चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का अधिकारी केवल वही छात्र है जो महाविद्यालय में न्यूतम छः मास की अवधि पूर्ण कर चुका है।
2. छः मास में केवल एक बार चरित्र प्रमाण-पत्र आवेदन देने के उपरान्त तीसरे दिन दिया जाता है।

महाविद्यालय की आचार संहिता

1. छात्र/छात्राएं कक्षा/प्रयोगशाला में नियमित रुप से समय पर उपस्थित हों एवं अन्यत्र नहीं घूमें।
2. छात्र/छात्राएं महाविद्यालय में मुख्य द्वार/कक्षा प्रयोगशाला/कार्यालय एवं पुस्तकालय पर एकत्रित नहीं होंगे और न ही शोर करेंगे/करेंगी।
3. छात्र/छात्राएं अपने रिक्त समय में पुस्तकालय/वाचनालय का समुचित प्रयोग करेंगे/करेंगी।
4. छात्र/छात्राएं स्वच्छ तथा शालीन वेषभूषा में ही महाविद्यालय आयेंगे/आयेंगी।
5. छात्र/छात्राएं अपना वाहन निर्धारित पर ही खड़ा करेंगे/करेंगी। कॉलेज में किसी अन्य स्थान पर वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं है।
6. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान अथवा नशीली वस्तुओं का सेवन दण्डनीय है।
7. छात्र सभी के साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार करेंगे एवं किसी भी स्थान पर वार्तालाप में अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे एवं न ही आवेश में आकर हिंसात्मक व्यवहार करेंगे।
8. छात्र नियमित रूप से महाविद्यालय सूचना पट देखेंगे एवं तदनुसार आचरण करेंगे।
9. छात्र किसी भी अवस्था में महाविद्यालय की व्यवस्था भंग नहीं करेंगे।
10. छात्र धर्म/भाषा प्रान्त/राजनीतिक विचारधारा/जाति के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव प्रदर्शित नहीं करेंगे तथा मानवता एवं मानव प्रेम के आधार पर ही व्यवहार करेंगे।
11. छात्र महाविद्यालय प्रांगण में श्याम पट्ट/दीवारों पर नहीं लिखेंगे और न ही पोस्टर चिपकायेंगे। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्यवाही होगी।
12. छात्र महाविद्यालय परिसर में कों हैंडबिल/पम्पलेट वितरित या चस्पा नहीं करेंगे एवं ना ही चन्दा एकत्रित करेंगे।
13. छात्र अपना महाविद्यालय का परिचय-पत्र सदैव अपने साथ रखेंगे ओर किसी अधिकारी के मांगे जाने पर उसे अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
14. छात्र अन्य संस्थाओं के छात्रों एवं मित्रों को महाविद्यालय में नहीं लायेंगे। ऐसा करने पर वे समुचित दण्ड के भागी होंगे।
15. छात्र स्वतंत्रता दिवस और गणतन्त्र दिवस पर आयोजित समारोह में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।
16. छात्र महाविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे।
17. उपर्युक्त आचार संहिता का पूर्ण/आंशिक उल्लंघन करने पर छात्र/छात्रा का प्रवेश निरस्त कर चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रवष्टि कर दी जायेगी।

विशेष सूचना

1. जांच होने पर सभी प्रवेश अस्थाई होते हैं। प्राचार्य कोई कारण दिये बिना किसी के भी प्रवेश को किसी समय निरस्त कर सकते हैं।
2. सभी प्रवेशार्थियों को चाहिए कि प्रवेश स्वीकृत होने के तुरन्त बाद निर्धारित तिथि पर शुल्क भुगतान करके अपना परिचय-पत्र रसीद कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर लें। ऐसा न करने पर उनका स्वीकृत प्रवेश निरस्त माना जायेगा।
3. प्रवेश लेते समय पाठ्यक्रम-विषयों का चयन भली-भाँति सोच-विचार कर करें। विषय यथा संकाय परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमान्य नहीं होगा। एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में स्थानांतरण भी अनुमान्य नहीं है।
4. प्रवेश लेने के पश्चात् कोई विद्यार्थी कॉलेज छोड़ता है तो कॉलेज कार्यालय को इसकी लिखित सूचना तुरन्त देना आवश्यक है। इसके साथ ही अपना परिचय-पत्र चीफ-प्रॉक्टर को लौटाना भी अनिवार्य है।

FEES FOR GOVERNEMNT ANY PRIVATE/GOVT. AIDED COLLEGES

1. Fees for Traditional Courses :

(i) Tuition and other fee as per Government rules.

(ii) Examination and other fees to be charged by the University.